न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 125/2017

1. नेतराम 2. भालाराम उर्फ हनुमान	पुत्रगण बुधराम जाति खाती(सुथार) निवासी लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगागर। —अपीलांट्स

बनाम

1. सावित्र देवी पत्नी इन्द्राज 2. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज 3. सुनील कुमार पुत्र इन्द्राज 4. सरोज पुत्री इन्द्राज 5. कमलेश पुत्री इन्द्राज	जाति खाती (सुथार) निवासी लिखमेवाला तह0रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

दिनांक 14.08.2017

उपस्थिति—

श्री मनिन्द्र कुमार अभिभाषक अपीलांट्स

श्री प्यारेलाल कच्छावा , अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक— 15.7.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण नेतराम, भालाराम ने उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट पेश कर कथन किया कि मुताविक जमाबन्दी सं. 2068—2071 वाके चक 4 बी.डब्ल्यू.एस.एम. के संयुक्त खाता सं. पुराना 42 नया 50 में प.नं. 285/328 मु. नं. 20 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.235है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि में वादी सं. 1 का 1.265है0 अर्थात 5.00 बीघा, वादी सं. 2 का 2.530है0 अर्थात 10.00 बीघा, प्रतिवादी सं. 1 गीता का 1.265है0 अर्थात 5.00 बीघा व प्रतिवादी सं. 2 इन्द्राज का 1.265है0 अर्थात 5.00 बीघा भाग खातेदारी है। वादीगण ने वाद वादीगण बहक वादीगण एवं खिलाफ प्रतिवादीगण वाद पत्र की पृष्ठ सं. 3 के उपमद "क" से "ग" के अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(A) प्रतिवादी सं. 2 इन्द्राज ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि चक 1 बी.डब्ल्यू.एस.एम. के मु.नं. 20 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.325 है0 अ0क0 कृषि भूमि में वादी भालाराम के पक्ष में कि.नं. 1 ता 10 कुल 2.530है0, वादी नेतराम के पक्ष में कि.नं. 11 ता 15 कुल 1.265है0 व प्रतिवादी इन्द्राज के पक्ष में कि.नं. 16 ता 25 कुल 2.530है0 इस प्रकार कुल 6.325है0 कृषि भूमि का बंटवारा किया जाता है व कि. नं.5, 6, 15 प्रत्येक में आधा–आधा बिस्वा में रास्ता स्वीकृत किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

(B) वादीगण ने जबाब उल जबाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी इन्द्राज के जबाब दावा की मद सं. 4 के कि.नं. 5, 6, 15 में रास्ता की मांग की गई वह स्वीकार नहीं है। बाकी जबाब दावा स्वीकार है। पक्षकारान का मु.नं. 20 है। चक बी.डब्ल्यू एम के मु.नं. 19 के कि.नं. 21 से 25 में रास्ता स्वीकृत है जो प्रतिवादी इन्द्राज अपने कि.नं. 16 से 25 मानता है उन किलों के कि.नं. 21 में रास्ता प्रवेश करता है। इस प्रकार इन्द्राज को रास्ता की आवश्यकता नहीं है। अतः निवेदन है कि जबाब उल जबाब व नक्शा रिकार्ड पर लिया जाकर दावा का भाग माना जावे।

(C) पैरोकार राज नायब तहसीलदार समेजा कोठी ने जबाब सरकार पेश कर कथन किया कि इसमें कोई राजकीय हित निहित नहीं है।

(D) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपने आदेश दिनांक 14.08.2017 से वाद वादीगण स्वीकार कर आदेश दिया कि चक 4 बी.डब्ल्यू एस एम. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 42/50 प.नं. 285/328 मु.नं. 20 के कि.नं. 1 ता 25 कुल रकबा 6.235है0 भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के मध्य विभाजन निम्न प्रकार से किया कि वादी सं. 1 के हिस्से में कि. नं. 11 ता 15 प्रत्येक 0.253है0 कुल 1.265है0, वादी सं. 2 के हिस्से में कि. नं. 1 ता 10 प्रत्येक 0.253है0 कुल 2.530है0 तथा प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से में कि.नं. 16 ता 25 प्रत्येक 0.253है0 कुल 2.530है0 भूमि प्राप्त होगी। प्रतिवादी सं. 2 को अपनी जोत में आने–जाने हेतु कि.नं. 5, 6 व 15 में प्रत्येक में आधा–आधा बिस्वा कुल 1½ (डेढ बिस्वा) भूमि का रास्ता स्वीकृत

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 उक्त रास्ते भूमि की क्षतिपूर्ति वादीगण को कि.नं. 19 में से करेगा अर्थात बंटवारे में प्राप्त कि.नं. 19 में से 1½ (डेढ बिस्वा) बिस्वा भूमि वादीगण को देगा।

(E) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने रास्ता स्वीकृति के निर्णय की हद तक अपास्त कर संशोधित किये जाने बाबत अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट व विद्वान अभिभाषक रेस्पों ने पूर्व में दिनांक 13.11.18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रा.पत्र मय राजीनामा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय में रास्ते की हद तक अपास्त कर राजीनामें में अंकित तथ्यों के अनुसार रास्ते की हद तक डिक्री में संशोधन किया जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) प्रकरण दो भाईयों के बीच समझौते के आधार पर बंटवारे की डिक्री में दोनों की जोत के विभाजन में रास्तों की व्यवस्था करते हुए उपखण्ड अधिकारी के आदेश में रास्ते का आने–जाने हेतु प्रावधान किया है तथा वादी व प्रतिवादी को दोनों को इस हेत 1½ बिस्वा 1½ बिस्वा भूमि छोडने हेतु आदेशित किया है।

(b) दोनों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। हमारी राय में अपील व्यर्थ है तथा उपखण्ड अधिकारी का आदेश उचित है। अपील निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.7.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)